रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112023-249892
CG-DL-E-06112023-249892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4585] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2023/कार्तिक 12, 1945
No. 4585] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2023/KARTIKA 12, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

का.आ. 4773(अ.).—जबकि राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) (जिसे इसके आगे अधिनियम कहा जायेगा) अधिनियम की धारा 1(2) के संबंध में, दिनांक 25 मई, 2021 को लागू किया गया था।

और जबकि अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से छह माह के भीतर, अधिसूचना द्वारा एक राज्य परिषद् का गठन करेगी, जिसे राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद कहा जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत यथा-निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

और जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, चल रहे चुनावों के कारण, सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तियों में, विशिष्ट श्रेणी में पर्याप्त अनुभवी पेशेवरों को खोजने में कठिनाई के कारण और विधायी/सांविधिक औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं के कारण, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषदों का गठन नहीं किया जा सका और उसके कारण अधिनियम की धारा 22 के उक्त उपबंधों के अनुपालन में कठिनाइयाँ आई।

और जबकि निर्धारित अवधि को आदेश अर्थात "राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग पंचम (कठिनाइयों का समापन) आदेश, 2023", दिनांक 18.05.2023 द्वारा अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से दो वर्ष और छह माह तक बढ़ा दिया गया था।

और जबकि अधिनियम की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इस आदेश को राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग छठा (कठिनाइयों का समापन) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के प्रवर्तन की तारीख से यथाशीघ्र परन्तु तीन वर्ष के भीतर राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषदों का गठन करेंगे।

[फा.सं. जेड-28016/03/2021-एएचएस]

वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2023

S.O. 4773(E).—Whereas the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021) (hereinafter referred to as the Act) came into force on 25thMay, 2021, in terms of Section 1(2) of the Act.

AND WHEREAS sub-section (1) of section 22 provides that every State Government shall, by notification, within six months from the date of commencement of this Act, constitute a State Council to be called the State Allied and Healthcare Council for exercising such powers and discharging such duties as may be laid down under this Act.

AND WHEREAS due to ongoing elections and the difficulty in finding adequate experienced professionals in the specific category in Allied and Healthcare professions as per the provisions of the Act by the States/UTs and also due to the Legislative/statutory formalities/procedures, the State Allied and Healthcare Councils could not be constituted by State Governments within stipulated period and because of that difficulties have arisen regarding compliance with the said provisions of section 22 of the Act.

AND WHEREAS the stipulated period was extended to two year and six months from the date of commencement of Act by Order viz., the National Commission for Allied and Healthcare Professions 5th(Removal of Difficulties) Order, 2023, dated 18.05.2023.

AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 69 of the Act, the Central Government hereby makes the following Order, to remove the above said difficulties, namely:

1. **Short title and commencement:**

(1) This Order may be called **the National Commission for Allied and Healthcare Professions 6th(Removal of Difficulties) Order, 2023**.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. It is hereby clarified that all the State Governments/Union Territories shall, as soon as may be but within three years from the date of commencement of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021, constitute State Allied and Healthcare Councils.

[F.No. Z-28016/03/2021-AHS]

V. HEKALI ZHIMOMI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.06 16:23:39 +05'30'